<u>न्यायालय : सिविल न्यायाधीश नसीराबाद, जिला अजमेर</u>

पीठासीन अधिकारी : प्रेम गढ़वाल, आर.जे.एस.

दीवानी प्रकरण संख्या : 02/2018

1. श्री यशवंत कुमार गर्ग पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीचंद जी गर्ग, जाति अग्रवाल, निवासी सम्पत्ति संख्या 2187, पोपसिंह मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर।
2. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व. श्री बालकिशन गर्ग,
3. श्री राजकुमार गर्ग पुत्र श्री स्व. श्री बालकिशन गर्ग,
4. श्री अशोक कुमार गर्ग पुत्र श्री स्व. श्री बालकिशन गर्ग
5. श्री किशोर कुमार गर्ग पुत्र श्री स्व. श्री बालकिशन गर्ग
6. श्री जितेंद्र कुमार गर्ग पुत्र श्री स्व. श्री बालकिशन गर्ग
7. श्री रविंद्र कुमार गर्ग पुत्र श्री स्व. श्री बालकिशन गर्ग
8. श्रीमती लता पुत्र श्री स्व. श्री बालकिशन गर्ग व पत्नी श्री मधुसूदन गर्ग
9. श्रीमती रानू पुत्री श्री स्व. श्री बालकिशन गर्ग व पत्नी श्री संजय अग्रवाल,

समस्त जाति अग्रवाल, निवासी सम्पत्ति संख्या 2187, पोपसिंह मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर, वर्तमान निवासी 395, जय लक्ष्मी कॉम्पलेक्स हुडी, व्हाईट फील्ड रोड, महादेव पुरा, बैंगलोर (कर्नाटक)

................वादीगण

बनाम

1. श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी स्व. श्री ताराचंद, जाति दर्जी, निवासी भवन संख्या 3950, मुकेरी मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर।
2. श्री महेश कुमार उर्फ श्री गिरीश कुमार पुत्र स्व. श्री ताराचंद, जाति दर्जी, निवासी भवन संख्या 3950, मुकेरी मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर।

.... प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अंतर्गत ओदश 7 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता</u>

उपस्थित :—

1. श्री ललित नारायण विद्वान अधिवक्ता वादीगण।
2. प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं— एकपक्षीय कार्यवाही।

: : <u>निर्णय</u> : : दिनांक :— 12.03.2019

01— वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत आदेश 7 नियम 1 व्य.प्र.सं. का दिनांक 21.12.2017 को प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण के स्वामित्वी भवन संख्या 2656 स्थित सायर ओली बाजार, नसीराबाद जिला अजमेर में प्रतिवादी सं 01 के ससुर एवं प्रतिवादी सं 02 के दादा स्वर्गीय श्री रामप्रताप इस सम्पत्ति में स्थित दक्षिण

दिशा देखती एक दुकान में बतौर किरायेदार काबिज थे तथा वे इस दुकान में दर्जी का कार्य करते थे। दुकान का किराया 10/–रूपये प्रतिमाह था। श्री रामप्रताप की किरायेदारी प्रत्येक अग्रेंजी माह की प्रथम तारीख से प्रारम्भ होकर अंतिम तारीख तक चलती थी। रामप्रताप के निधन के बाद उनके पुत्र ताराचंद उक्त सम्पत्ति पर बतौर किरायेदार काबित हुए। तारांचद का भी देहावसान हो चुका है। प्रतिवादी सं 01 व 02 उपरोक्त सम्पत्ति पर बतौर किरायेदार काबिज है। किरायेदारी परिसर के पूर्व में भवन संख्या 2656 का शेष भाग श्री नाथूलाल की किरायेदारी में, पश्चिम श्री सुभाषचंद जिंदल की दुकान, उत्तर भवन संख्या 2656 का शेष भाग, दक्षिण सायर ओली बाजार की आम सड़क स्थित है। वादीगण यशंवत कुमार गर्ग एवं श्री बालकिशन गर्ग ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपरोक्त किराया परिसर से बेदखली हेतु राजस्थान किराया परिसर अधिनियम 1950 के अंतर्गत एक सिविल वाद स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था। वाद की संख्या 40/13 (28/2012) तथा शीर्षक बालकिशन व अन्य बनामा श्रीमती अंगूरी देवी है। यह वाद दिनांक 17.07.15 को इस आधार पर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था कि उपरोक्त अधिनियम राजस्थान सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है एवं केंद्र सरकार द्वारा कोई अधिसूचना इस संबंध में जारी नहीं की गई है।

02– इसके पश्चात् अंतिम बार प्रतिवादीगण ने माह अक्टूबर 2015 का किराया वादीगण को अदा किया जो दिनांक 05.11.15 को अदा किया। इसके पश्चात् माह नवम्बर 2015 एव उसके बाद का परिसर का किराया प्रतिवादीगण ने वादीगण को अदा नहीं किया। वादीगण को उपरोक्त किराया परिसर की युक्तियुक्त एवं सद्भावी आवश्यकता है। वादीगण ने वादग्रस्त परिसर से प्रतिवादीगण की किरायेदारी समाप्त करने हेतु एक विधिक सूचना पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 17.07.17 को जरिए पंजीकृत डाक भिजवाया। सूचना पत्र प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गया जिसका प्रतिवादीगण ने ना तो कोई उत्तर दिया ना ही सूचना पत्र की पालना की। इसके बाद वादीगण ने पुनः एक संशोधित विधिक सूचना पत्र दिनांक 10.11.17 को प्रतिवादीगण को अपने अधिवक्ता के माध्यम से जरिये पंजीकृत डाक भिजवाकर प्रतिवादीगण की किरायेदारी संशोधित विधिक सूचना पत्र में

वर्णितानुसार समाप्त कर दी तथा सूचना पत्र प्राप्ति से पंद्रह दिवस अथवा माह नवम्बर 2017 की अंतिम तारीख तक परिसर का रिक्त कब्जा वादीगण को संभलाने एवं माह नवम्बर 2015 से माह अक्टूबर 2017 तक का बकाया किराया तथा माह नवम्बर 2017 का किराया 10/—रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 250/—रूपये अदा करने का निर्देश दिया। वादीगण ने विधिक सूचना पत्र में यह भी अंकित करवाया था कि सूचना पत्र की पालना नहीं करने की सूरत में प्रतिवादीगण को बतौर अतिक्रमी बेदखल किए जाने हेतु विधिक कार्यवाही की जाएगी तथा मीन्स प्रोफिट के रूप में प्रतिमाह 4,000/—रूपये प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी होंगे। उक्त सूचना पत्र प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गया परन्तु प्रतिवादीगण ने सूचना पत्र की पालना नहीं की। वादीगण ने धारा 106 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार प्रतिवादीगण की किरायेदारी वादग्रस्त परिसर से समाप्त कर दी है। दिनांक 01.12.17 से प्रतिवादीगण बतौर अतिक्रमी वादग्रस्त परिसर पर काबिज है तथा वादीगण प्रतिवादीगण को वादग्रस्त परिसर से बेदखल कर रिक्त कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

03— इससे पूर्व भी वादीगण के परिजनों ने प्रतिवादी सं 01 के दादा स्व. श्री रामप्रताप के विरूद्ध एक सिविल वाद सं 136/1981 जिसका शीर्षक श्रीमती सुशीला व अन्य बनाम श्री रामप्रताप है प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादी सं 02 के दादा को किराया अदा करने में चूककर्ता होने तथा अन्य आधारों पर निष्कासन का वाद मुंसिफ न्यायालय नसीराबाद में प्रस्तुत किया था। इस वाद का निणर्य दिनांक 07.09.87 को हुआ था जिसमें प्रतिवादी रामप्रताप को किराया अदा करने में प्रथम व्यतिक्रमी घोषित किया जाकर उसे प्रथम व्यतिक्रमी का लाभ देते हुए निष्कासन का अनुतोष अस्वीकार किया था, जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के पूर्वज भी किराया अदा करने में चूककर्ता रहे है। अतः न्यायालय से निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की आज्ञप्ति जारी की जाए कि वादपत्र की चरण सं 01 में अंकित वादग्रस्त परिसर से प्रतिवादीगण को निष्कासित कर परिसर का रिक्त कब्जा वादीगण को दिलवाया जाए एवं प्रतिवादी के काबिज समस्त परिसर का पिछले पच्चीस माह बकाया किराया रूपये 10/— प्रतिमाह की दर से रूपये 250/— प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलवाया

जाए। वाद प्रस्तुति की दिनांक से वादग्रस्त परिसर प्रतिवादीगण से रिक्त करवाए जाने तक मध्यवर्ती लाभ के रूप में प्रतिमाह 4000/—रूपये वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाये जाए।

04— प्रतिवादीगण को जारीशुदा तामील बाद तामील प्राप्त होने के उपरांत भी प्रतिवादीगण या उसके प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय आदेश दिनांक 14.05.18 द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

05— प्रतिवादीगण के कोई अभिवचन अभिलेख पर नहीं होने से उक्त वाद में विवाद्यक विरचित नहीं किए गए। वादी की ओर से एक पक्षीय साक्ष्य में स्वयं को पी.डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी—01 लगायत प्रदर्श पी—12 को प्रदर्श चिह्नित कराया गया।

06— सुना गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उद्भुत होते हैं —

01. आया वादी, प्रतिवादी को वादपत्र की चरण सं 01 में वर्णित वादग्रस्त परिसर से निष्कासित कर परिसर का रिक्त कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है? ....वास्ते वादी
02. आया वादी, प्रतिवादी से उसके काबिज समस्त परिसर का पिछले पच्चीस माह का बकाया किराया रूपये 10/—प्रतिमाह की दर से रूपये 250/— प्राप्त करने का अधिकारी है? ....वास्ते वादी

07— चूंकि उक्त वाद में प्रतिवादीगण के कोई अभिवचन नहीं हैं, ऐसी स्थिति में वादी को अपना वाद स्वयं स्थापित कराना होगा। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपने वाद को साबित करने का भार वादी पर होता है। वादी को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना होता है तथा वह अपने वाद को स्थापित करने के लिये प्रतिवादीगण की किन्हीं कमजोरियों या कमियों का फायदा नहीं उठा सकता है।

08— बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया है। वादी ने न्यायालय से निवेदन किया कि विवादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रतिवादीगण अतिक्रमी होकर काबिज है जिन्हें वादग्रस्त सम्पत्ति

से निष्कासित कर परिसर का रिक्त कब्जा वादीगण को दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादीगण के काबिज समस्त परिसर का बकाया किराया भी वादीगण को दिलावाया जाना न्यायसंगत है। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

09— वादी की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किया जाए तो वादी ने स्वयं को पी.डब्ल्यू—01 के रूप में न्यायालय में परीक्षित करवाया है एवं वादी द्वारा स्वयं की साक्ष्य में वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति की है।

10— चूंकि हस्तगत वाद में प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आयी और उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी, ऐसे में वादी द्वारा पेश वादपत्र में वर्णित तथ्य एवं वादी द्वारा पेश साक्ष्य अखण्डनीय रही है। वादी द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण चाहते तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं का पक्ष रख सकते थे परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा पेश वादपत्र में वर्णित तथ्यों के विरोध में अपना कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया एवं ना ही स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये, जिससे कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्य की प्रथम दृष्टया सम्पूर्ण पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादीगण विचारणीय बिंदू को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है।

चूंकि वादी अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से वादपत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

11— अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण को वादपत्र में वर्णित विवादग्रस्त परिसर से निष्कासित कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा परिसर का बकाया पच्चीस माह का किराया 10/—रूपये प्रतिमाह की दर से 250/—रूपये

प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावे। उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति की रचना की जावे।

(प्रेम गढवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
नसीराबाद, अजमेर

12— निर्णय आज दिनांक 12.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेम गढवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
नसीराबाद, अजमेर

08– विवाद्यक संख्या 01

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर था। चूंकि उक्त वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई हैं ऐसी स्थिति में वादिया को अपना वाद स्वयं स्थापित कराना होगा। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपने वाद को साबित करने का भार वादी पर होता है। वादी को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना होता है तथा वह अपने वाद को स्थापित करने के लिये प्रतिवादीगण की किन्हीं कमजोरियों या कमियों का फायदा नहीं उठा सकता है।

वादीगण की ओर से पी.डब्ल्यू–01 के रूप में प्रेम चैलानी व पी.डब्ल्यू–02 के रूप में पंकज चैलानी को परीक्षित करवाया गया है। गवाह पी.डब्ल्यू–01 प्रेम चैलानी व पी.डब्ल्यू–02 पंकज चैलानी ने स्वयं के साक्ष्य के शपथ पत्र में वादपत्र में वर्णित तथ्यों की ही पुनरावृति की है। उक्त गवाहान ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उनको वादी संख्या 01 लगायत 03 ने प्रतिवादी के विरूद्ध व अन्य कार्य बाबत् एक जनरल पॉवर ऑफ अर्टोनी दिनांक 14.03.18 को निष्पादित करके व नोटेरी पब्लिक द्वारा नोटेराईजउ करा कर दी है जो प्रदर्श पी–01 है। वादग्रस्त किराये परिसर पर प्रतिवादी 200/–रूपये प्रतिमाह की दर से किरायेदार था। उनके द्वारा प्रतिवादी को उक्त किराया परिसर में स्थित किरायेदारी को जरिये विधिक सूचना पत्र दिनांक 01.06.17 को प्रेषित कर समाप्त कर दी गयी थी। विधिक सूचना पत्र प्रदर्श पी–03 है। पंजीकृत डाक से सूचना पत्र भेजने की पोस्टल रसीद प्रदर्श पी–04 व 05 व प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रदर्श पी–06 व प्रदर्श पी–07 है। प्रतिवादी ने दिनांक 01.01.14 से देय किराया राशि का भुगतान भी बावजूद मांग व तकाजो के उनको अदा नहीं किया।

10— चूंकि हस्तगत वाद में प्रतिवादिया श्रीमती हेमलता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आयी और उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी, ऐसे में वादी द्वारा पेश वादपत्र में वर्णित तथ्य एवं वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य अखण्डनीय रही है। वादीगण द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन के उपरांत यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादिया श्रीमती हेमलता ने वादी बैंक, बैंक ऑफ बडौडा, शाखा नसीराबाद से ऋण स्वरूप पांच लाख रूपये की राशि प्राप्त की। प्रतिवादिया द्वारा बैंक से प्राप्त राशि का भुगतान वादी बैंक को समय पर नहीं किया गया जिसपर वादी बैंक ने प्रतिवादिया को विधिक सूचना पत्र दिनांकित 16.09.17 प्रेषित किया परन्तु प्रतिवादिया ने उक्त पत्र लेने से इंकार कर दिया एवं उसके पश्चात् वादी बैंक से प्राप्त ऋण राशि का भुगतान नहीं किया है, जिस संबंध में पत्रावली पर पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है। प्रतिवादिया श्रीमती हेमलता चाहती तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं का पक्ष रख सकती थी परन्तु प्रतिवादिया द्वारा वादी द्वारा पेश वादपत्र में वर्णित तथ्यों के विरोध में अपना कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया एवं ना ही स्वयं न्यायालय में उपस्थित आयी, जिससे कि वादी बैंक द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्य की प्रथम दृष्टया सम्पूर्ण पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादी विचारणीय बिंदू को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

चूंकि वादी अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से वादपत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है। अतः ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादी से बकाया राशि 4,25,466/— रूपये की राशि मय 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है।

06– उपरोक्त विवाद्यकों के समर्थन में वादी बैंक ऑफ बडौदा की ओर से साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू 1 के रूप में पी.के गुप्ता ब्रांच मैनेजर, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा नसीराबाद को परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी–01 लगायत प्रदर्श पी–28 को प्रदर्शित करवाया।

प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु उसके उपरांत भी प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की जिससे कि साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की गयी।

07– बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि वादी बैंक से प्रतिवादीगण द्वारा तीन लाख नव्वे हजार रूपये का ऋण प्राप्त किया एवं उसकी अदायगी नहीं की गयी। वादी बैंक प्रतिवादीगण से कुल 4,55,795/–रूपये की राशि मय ब्याज प्राप्त करने की हकदार है। अतः वादी बैंक को प्रतिवादी पक्ष से अब तक समायोजन पर मूल राशि 4,55,795/–रूपये प्रदान करायी जाए तथा उक्त राशि पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर वार्षिक आधार पर 13.90 प्रतिशत के अनुकूल वसूली तक प्रदान करायी जाए। वहीं अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया है कि वादी बैंक से तीन लाख नव्वे हजार रूपये का शिक्षा ऋण प्राप्त करना उसे स्वीकार है परन्तु उक्त वादी बैंक ने सम्यक समुचित प्रविष्टियां अदायगी की नहीं की है तथा ब्याज भी तय दरों के अनुरूप नहीं लगाया गया है। वादी बैंक ने ऋण प्राप्ति पर जो अभिलेख रचित किय गये उनकी पूर्ण जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं दी और अनेकानेक प्रिन्टेड फार्मा पर हस्ताक्षर करा लिये गये। वादी बैंक द्वारा ऋण की नियमित अदायगी नहीं किये जाने से प्रतिवादी को शिक्षा संबंधी कार्य में अनेकानेक बाधाए कारित हुई है, जिसके कारण ऋण अदायगी में चूक हुई है जिसके लिये वादी बैंक लापरवाही के लिये उत्तरदायी है। अतः वादपत्र में वर्णित अनुतोष वादी प्रतिवादी से किसी भी रूप में प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तद्नुसार वाद वादी मय व्यय खारिज किये जाने योग्य है।

<u>विवाद्यक संख्या 01</u>

08– उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है। वादी साक्षी पी. डब्ल्यू–01 पी.के गुप्ता ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में वाद पत्र में वार्णित तथ्यों की ही पुनरावृति की है एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी–01 लगायत प्रदर्श पी–28 को प्रदर्शित करवाया है। वादी साक्षी पी. डब्ल्यू–01 पी.के गुप्ता ने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट कथन किया है कि वादी बैंक, बैंक ऑफ बडौदा की शाखा नसीराबाद से प्रतिवादीगण द्वारा शिक्षा हेतु 3,90,000/–रूपये का ऋण प्राप्त किया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में इस तथ्य को स्वीकार है कि उसने वादी बैंक से शिक्षा हेतु 3,90,000/–रूपये का ऋण प्राप्त किया है इस बाबत् दस्तावेजात भी पत्रावली पर मौजूद है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जिरह में वादी साक्षी पी.डब्ल्यू–01 पी.के गुप्ता ने स्पष्ट कथन किया है कि प्रतिवादीगण ने एफ.डी.आई कॉर्स के लिए चार लाख पचपन हजार रूपये का ऋण किश्तों में लिया था। समस्त फर्दो पर ऋण लेते समय प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर किये थे, केवल रिनीवल पर हस्ताक्षर बाद में करवाये थे। अधिवक्ता वादी ने कथन किया है कि प्रतिवादीगण ने वादी बैंक से ली गयी ऋण राशि की अदायगी में बार–बार चूक की है जिस संबंध में प्रतिवादीगण को बार–बार नोटिस जारी किये गये जो कि प्रदर्श पी–18 लगायत प्रदर्श पी–22 है। प्रदर्श पी–23 विधिक सूचना पत्र है जो कि प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गया। प्रदर्श पी–27 व प्रदर्श पी–28 प्रतिवादीगण को प्राप्त विधिक पत्र की स्वीकारोक्ति है, परन्तु उसके पश्चात् भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक द्वारा प्राप्त ऋण का भुगतान नहीं किया। प्रतिवादीगण ने इस संबंध में अपने जवाब दावे में कथन किया है कि वादी बैंक द्वारा ऋण की नियमित अदायगी नहीं की जाने से प्रतिवादी को शिक्षा संबंधी कार्य में अनेकानेक बाधांए कारित हुई है जिसके कारण ऋण की अदायगी में चूक हुई है, जिसके लिए वादी बैंक लापरवाही के लिये उत्तरदायी है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दाव में इस तथ्य को भी स्वीकारा है कि उनके द्वारा ऋण की अदायगी में चूक की गयी है। वादी द्वारा पेश वादपत्र, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने वादी बैंक से शिक्षा हेतु 3,90,000/–रूपये का ऋण प्राप्त किया जिसकी अदायगी

प्रतिवादीगण ने समय पर नहीं की। ऐसी स्थिति में वादी बैंक, बैंक ऑफ बडौदा प्रतिवादी से 4,55,795/रूपये मय वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है।

विवाद्यक संख्या 02 व 03

09– उक्त दोनों विवाद्यकों को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। उक्त दोनों विवाद्यकों को साबित करने के लिए प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। न्यायालय द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, परन्तु उसके उपरांत भी अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं की गयी। वादी बैंक, बैंक ऑफ बडौदा द्वारा प्रतिवादीगण को शिक्षा हेतु 3,90,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसको प्रतिवादीगण द्वारा समय पर अदा नहीं किया, इस तथ्य को प्रतिवादीगण ने स्वीकारा है ऐसे में वाद प्रस्तुत करने हेतु उचित वादकारण वादी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से दृष्टिगत है। वादी साक्ष्य पी.डब्ल्यू–01 पी.के गुप्ता ने अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि यह कहना गलत है कि वाद पत्र समयावधि के बाद प्रस्तुत किया गया हो। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त विवाद्यकों को साबित करने हेतु न्यायालय के समक्ष कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः सुदृढ़ मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादीगण उक्त दोनों विवाद्यकों को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है।

10– अनुतोष :–

चूंकि विवाद्यक संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादी पर था, जिसे वादी अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहा है। विवाद्यक संख्या 02 व 03 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था, जिसे प्रतिवादी अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

11– अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया

जाता है कि वादी, प्रतिवादी से मूल राशि 3,90,000/— रूपये ऋण प्राप्ति की दिनांक से वसूली होने तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादी से वाद व्यय भी प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति की रचना की जावे।

(इन्दिरा बनेरा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नसीराबाद, अजमेर

12— निर्णय आज दिनांक 16.05.18 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(इन्दिरा बनेरा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नसीराबाद, अजमेर